

क. का जारेंगे अर्थात् निषेधाज्ञा से राबंद किया जाता है कि ग्राम सभापतिपुर के आ.स.नं. 385, 386, 548/388 कुल भिन्ना 3 शकवा 1.35 हेक्टर में सायल के हिस्से की भूमि के कृषि क्षेत्र में बाधा उत्पन्न नहीं करे। तथा सब व्यय आदि नहीं करे तथा रिमांड की स्थिति बर्तावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र ग.प. दर्ज रजिस्टर की जाकर मूलकी जै सायल की जाकर पत्रावली दिनांक 26-4-18 को पेश हो

उप जिला कलेक्टर  
बामनवास (स० मा०)

26/4/18 उपयुक्त उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / ~~अपस्थित~~ पर है / का पद रिक्त है। पत्रावली मत / आदेशानुसार दिनांक 2-8-18 को पेश हो।

28/8 उपयुक्त उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / ~~अपस्थित~~ पर है / का पद रिक्त है। पत्रावली मत / आदेशानुसार दिनांक 4.10.18 को पेश हो।

4/11 उपयुक्त उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / ~~अपस्थित~~ पर है / का पद रिक्त है। पत्रावली मत / आदेशानुसार दिनांक 20.12.18 को पेश हो।

रीडर

20/2/18 पत्रावली पेश हुई। कृषि सायल, सायलगांव इफ. सायल की उर्वर से मूल दवा विज्ञा किया जा

विष्णु शर्मा

ललिता शर्मा

अनिल कुमार शर्मा

सुनिता शर्मा

कुल

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

चुका है अतः पत्रावली को आगे चलाने का  
कोई औचित्य नहीं है अतः सामल का  
प्राप्य 7.7 खारीज किया जाता है। पत्रावली  
केवल शुभाह्निक बाद तकमिल दफ्तर  
काखिल की जावे।

उप जिला कलक्टर  
बामनवास (जिला-स०मा०)